

डिक्री बमुकदमें ईब्लदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-249/2019

1. रजनीश } पि0 सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी
2. अवनीश } जिला हनुमानगढ। वादीगण


बनाम्

1. मुन्नीदेवी पत्नी आत्माराम
2. विजय } पि0 आत्माराम } जाति जाट निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी
3. राजपाल } जिला हनुमानगढ।
4. गायत्री पुत्री आत्माराम
5. विमला पत्नी रामलाल
6. उग्रसैन पुत्र रामलाल
7. रामलाल पुत्र मनीराम प्रतिवादीगण।

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री करनैलसिंह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि क.वादी रजनीश-अवनीश को ब0हि0ब0 चकनं0 20 एनजीसी के खाता सं0 89 में प्रतिवादीसं0 1 ता 3 के नाम की कुल 3.795 है0 ख.प्रतिवादीसं0 1 ता 3 को चकनं0 17 एनजीसी के खाता सं0 11 में वादीसं0 1 व 2 की 4.048 है0 तथा चकनं0 17 एनजीसी के प0न0 195/266 मु0 18 किलानं0 2,3,7,8,9/1.265 है0, ग. प्रतिवादीसं0 7, को चकनं0 17 एनजीसी के खाता सं0 46 की कुल .651 है0 व चकनं0 16 एनजीसी के खाता सं0 43 की .776 है0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 20 एनजीसी के खातासं0 89 में से प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 का नाम कलमजन, चकनं0 17 एनजीसी के खाता सं0 11 में से वादीगण का नाम कलमजन, इसी चक के खाता सं0 69 में से प्रतिवादी सं0 7 रामलाल का हिस्सा कम व इसी चक के खाता सं0 46 में से प्रतिवादीसं0 1 ता 4 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक
.....अदा करें।

बसब्ल मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....3-9-19.....को जारी किया गया।



(मीनू वर्मा) एवं
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी